



[Registered Office: G.B. Pant Road, Nainital, Uttarakhand-263001]  
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: [www.nainitalbank.co.in](http://www.nainitalbank.co.in)  
e-mail ID: [cs@nainitalbank.co.in](mailto:cs@nainitalbank.co.in), Phone: 05942-233739

## **NOTICE TO THE MEMBERS**

Notice is, hereby, given that the 97th Annual General Meeting of the members of The Nainital Bank Limited shall be held at State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) on Friday, the 20th day of September 2019 at 10:00 A.M. (IST) onwards, to transact the following business:

### **Ordinary Business**

1. To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the Bank for the year ended 31st March 2019, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
2. To declare dividend on equity shares for the Financial Year 2018-2019.
3. To appoint a director in place of Mr. Mukesh Sharma (DIN 07333674) who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
4. To re-appoint M/s. PSMG & Associates, Chartered Accountants, Ghaziabad [FRN 008567C], as Central Statutory Auditor from the conclusion of this Annual General Meeting until conclusion of next Annual General Meeting and to authorise Board of Directors to fix their remuneration.

**“RESOLVED THAT** subject to the provisions of Section 139 and 142 of the Companies Act, 2013, Section 30 of the Banking Regulations Act, 1949 and guidelines issued by Reserve Bank of India, M/s. PSMG & Associates Chartered Accountants (FRN. 008567C), who have offered themselves for re-appointment and have confirmed their eligibility to be appointed as Auditors in terms of Section 141 of the Companies Act, 2013 and applicable rules, be and are hereby re-appointed as the Auditors of the bank to hold office from the conclusion of the 97th Annual General Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Bank.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby, authorized to fix the remuneration of the Central Statutory Auditor for the Financial Year 2019-20.”

### **Special Business**

#### **5. Appointment of Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) as Chairman & C.E.O.**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 196 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules made thereunder, Section 35B and all other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India (“RBI”), in this regard, from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation or re-enactment thereof, for the time being in force) approval of the members of the Bank be and is, hereby, accorded to appointment of Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) as Chairman & C.E.O. of the Bank, w.e.f. April 01, 2019 for a period of three years as approved by Reserve Bank of India.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to the provisions of Section 197, Schedule V and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules made thereunder, Section 35B and all other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and the rules, guidelines and circulars issued by the RBI, in this regard, from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation or re-enactment thereof, for the time being in force) approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the payment of remuneration by way of salary, allowances and perquisites to Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) as Chairman & C.E.O. of the Bank and as approved by Reserve Bank of India as under -

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Salary                   | (Pre-revised) as applicable in (Executive-Management Grade/ Scale-TE-VI as per Bank of Baroda Officers' Regulation 1979) Rs. 72,600 (Basic pay p.m.) Special Basic Pay: (New special allowance) 11% of Basic Pay i.e. 7,986 at current stage. Special Dearness Allowance: 60.69% of New Special Basic Pay |
| 2. Dearness allowance       | 60.69% of (Basic Pay + New Special Allowance) Currently 44,068 p.m. + Rs. 4,848 p.m.  |
| 3. House Rent allowance     | As applicable to officers of Bank of Baroda in his cadre.   |
| 4. Conveyance Allowance     | Bank's car  |
| 5. Entertainment Allowance  | As applicable with any changes or modifications to officers in his cadre in Bank of Baroda  |
| 6. Any Other-               |   |
| City Compensatory Allowance | -   |
| Deputation Allowance        | 7.75 % of Basic Pay subject to maximum of Rs. 4,000.00 per month i.e. as applicable to officers of Bank of Baroda in his Cadre.   |

नैनीताल बैंक  
दिन नैनीताल बैंक लि.



NAINITAL BANK  
THE NAINITAL BANK LTD.

1ath-r dkl; ky; % th-ch-ir jkM] ušhrky] mÜkj[kM &263001]  
l hvkbZ, u l d; k U65923UR1922PLC000234 ocl kbV%www.nainitalbank.co.in  
b&esy vkbMh% cs@nainitalbank.co.in, Oku% 05942&233739

### 1 nL; k dks l upuk

यह नोटिस दिया जाता है कि दि नैनीताल बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 97वीं वार्षिक आम बैठक नीचे दिए गए कार्यों के लिए दिनांक 20 सितंबर 2019 शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) स्टेट गेस्ट हाउस (नैनीताल क्लब) मल्लीताल नैनीताल-263001 में आयोजित की जाएगी:

#### **सामान्य कारोबार:**

1.31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण उन पर निदेशक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना ।

2. इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

3. श्री मुकेश शर्मा (डीआईएन 07333674) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्यता के आधार पर उन्होंने स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया है ।

4. मैसर्स पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, गाजियाबाद (एफआरएन 008567सी) को इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से अगली वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना और निदेशक बोर्ड को उनका पारिश्रमिक तय करने हेतु प्राधिकृत करना ।

“यह पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 142 के प्रावधानों के अधीन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 30 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन मैसर्स पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 008567सी), जिन्होंने स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और लागू नियमों के संदर्भ में केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त होने की अपनी योग्यता की पुष्टि की है, को 97 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से बैंक की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक बैंक के केंद्रीय वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।”

“यह भी पारित किया गया कि बोर्ड को एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

#### **विशिष्ट कारोबार:**

5. अध्यक्ष एवं सीईओ की नियुक्ति – श्री दिनेश पंत

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करना:

“पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, उसके तहत बने संबंधित नियमों के साथ पठित, धारा 35 बी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के सभी अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान समय में लागू हो) के अनुसार, श्री दिनेश पंत (डीआईएन 08391769) की बैंक के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में 1 अप्रैल 2019 से तीन साल के कालावधि के लिए नियुक्ति को, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है, बैंक के सदस्यों की स्वीकृति है और दी जाती है।”

“आगे पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197, अनुसूची V और अन्य सभी लागू प्रावधानों, उसके तहत बने संबंधित नियमों के साथ पठित, धारा 35 बी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के सभी अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान समय में लागू हो) के अनुसार, श्री दिनेश पंत (डीआईएन 08391769) को बैंक के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में वेतन, भत्ते और अनुलाभ के माध्यम से पारिश्रमिक के भुगतान को, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है, बैंक के सदस्यों की निम्नानुसार, स्वीकृति है और दी जाती है।”

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | वेतन                | (बैंक-बड़ौदा अधिकारियों के विनियम 1979 के अनुसार कार्यपालक-प्रबंधन श्रेणी / स्तर-टीई-VI के लिए लागू(पूर्व-संशोधित) रुपये 72,600 (मूल वेतन प्रति माह) विशेष मूल वेतन: (नया विशेष भत्ता) मूल वेतन का 11% यानी 7,986 वर्तमान स्थिति में। विशेष महंगाई भत्ता: नए विशेष मूल वेतन का 60.69% |
| 2 | महंगाई भत्ता        | (मूल वेतन नया विशेष भत्ता) का 60.69%, वर्तमान में 44,068 प्रति माह रु. 4,848 प्रति माह।   |
| 3 | मकान किराया भत्ता   | जैसा कि उनके संवर्ग में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए लागू हो।  |
| 4 | वाहन भत्ता          | बैंक की कार   |
| 5 | आतिथ्य भत्ता        | जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में अधिकारियों को किसी भी परिवर्तन या संशोधन के साथ लागू होता हो।  |
| 6 | अन्य कोई-           |   |
|   | शहर प्रतिपूरक भत्ता |   |
|   | प्रतिनियुक्ति भत्ता | मूल वेतन का 7.75% अधिकतम रु. 4,000.00 प्रति माह अर्थात जैसा कि उनके संवर्ग में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए लागू हो।   |

Hill & Fuel Allowance 2.5 % of Basic Pay subject to maximum of Rs.1,000.00 per month i.e. as applicable to officers of Bank of Baroda in his Cadre.

**Perquisites:**

1. Free furnished house Bank's Owned Accommodation (Rs. 20,000.00 P.M. Approx.)/ As applicable to Officers of Bank of Baroda in his Cadre.
2. Free use of bank's car for
  - (i) Official purposes Bank's car with driver
  - (ii) For private purposes on compensating the bank with suitable amount As applicable to officers of Bank of Baroda in his Cadre.
3. Provident Fund/Gratuity/ Pension As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda
4. Travelling and Halting Allowances As applicable to officers of Bank of Baroda in his cadre.
5. Medical benefits As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda
6. Other benefits, if any (please specify) As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda

**Leave:**

1. Casual Leave As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda
2. Ordinary Leave (Privilege) As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda
3. Sick Leave As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda
4. Leave Fare Concession As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda
5. UCL As applicable to him in his cadre in Bank of Baroda

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Directors and Company Secretary of the Bank be and are hereby severally authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as he/she may consider necessary and desirable and to give effect to this Resolution.”

The entire salary, allowance, perquisites etc. payable to Mr. Dinesh Pant shall be borne by The Nainital Bank Limited.

**6. To appoint Mr. Rakesh Kumar Miglani (DIN 08528482) as Director.**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of sections 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, section 10A and other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and the rules, circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, Mr. Rakesh Kumar Miglani (DIN. 08528482) who was appointed as an Additional Director pursuant to Section 149 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 be and is, hereby, appointed as a Director of the Bank, liable to retire by rotation.”

**7. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as an ordinary resolution:**

**“RESOLVED THAT** the Board of Directors be and is hereby authorised to appoint from time to time, in consultation with the Central Statutory Auditors, on such remuneration and on such terms and conditions, as the Board may deem fit, persons qualified for appointment as Branch Auditors of the Bank under Section 143 (8) of the Companies Act, 2013 to audit the accounts of the Branch Offices of the bank for the year ending 31st March, 2020 subject to prior approval of the Reserve Bank of India”.

**MEMORANDUM OF INTEREST**

Regarding Item No. 3, 5, and 6 the respective Directors are interested only in so far as their re-appointment is/are concerned.

By **Order of the Board of directors**

**Place:** Noida

**Date:** August 19, 2019

**(Dinesh Pant)**

**Chairman & C.E.O.**

## 1 नल; कडक 1 पुक

पर्वतीय और ईधन भत्ता

मूल वेतन का 2.5% अधिकतम रु.1,000 प्रति माह, अर्थात जैसा कि उनके संवर्ग में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए लागू हो।

### **अनुलाभ:**

1. निःशुल्क सुसज्जित मकान बैंक का स्वामित्व वाला आवास (लगभग रु. 20,000.00 प्रति माह)/ जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए उनके संवर्ग में लागू है।
2. बैंक की कार का मुफ्त उपयोग  
(i) आधिकारिक प्रयोजन चालक के साथ बैंक की कार  
(ii) उपयुक्त राशि के साथ बैंक को जैसा कि उनके संवर्ग में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए लागू है।  
मुआवजा देने पर निजी प्रयोजनों के लिए
3. भविष्य निधि/उपदान/निवृत्ति वेतन जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।
4. यात्रा तथा विराम भत्ता जैसा कि उनके संवर्ग में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए लागू है।
5. चिकित्सीय लाभ जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।
6. अन्य लाभ, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें) जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।

### **अवकाश:**

1. आकस्मिक अवकाश जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।
2. साधारण अवकाश (विशेषाधिकार) जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।
3. बीमारी का अवकाश जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।
4. अवकाश किराया सुविधा जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।
5. यूसीएल जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग में उनके लिए लागू है।

“आगे पारित किया जाता है कि, बैंक के निदेशक तथा कंपनी सचिव, आवश्यक समझे गए सभी समझौतों, दस्तावेजों, साधनों तथा लेखों को निष्पादित करने के लिए, वैधानिक/विनियामक प्राधिकरणों के साथ प्रयोजनीय प्रपत्र या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामलों, तथा चीजों को, जिन्हें वह आवश्यक तथा वांछनीय तथा इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए जरूरी समझता/ समझती हो, करने के लिए, इसके द्वारा उचित रूप से अधिकृत किये गए हैं तथा रहेंगे।”

श्री. दिनेश पंत को देय सम्पूर्ण वेतन, भत्ता, अनुलाभ आदि नैनीताल बैंक लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा।

6. श्री राकेश कुमार मिगलानी(डीआईएन0008528482) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

**निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करना:**

“पारित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 10अ तथा अन्य लागू प्रावधानों, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियमों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार, श्री.राकेश कुमार मिगलानी (डीआईएन 0008528482) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, इसके द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते हैं, जो नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।”

7. निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करना:

“पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों से परामर्श करके, इस तरह के पारिश्रमिक पर और ऐसे नियम और शर्तों पर, जैसे मंडल उचित समझता हो, समय समय पर, ऐसे व्यक्तियों को, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, बैंक के शाखा कार्यालयों के खातों का लेखा परिक्षण करने के लिए नियुक्त किये जाने के योग्य हो, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहकर, नियुक्त करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत है और किया जाता है।”

### **\*अभिरुचि ज्ञापन**

मद संख्या 3, 5 और 6 के संबंध में सम्बंधित निदेशक केवल उस सीमा तक इच्छुक होंगे जहां तक यह उनकी पनु: नियुक्ति/चयन से संबद्ध है।

कृते निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नोएडा

दिनांक 19 अगस्त, 2019

(दिनेश पंत)

अध्यक्ष एवं सीईओ



## ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013

### Item No. 4.

As required under Section 30 (1A) of Banking Regulation Act, 1949, necessary permission of Reserve Bank of India is being sought for approval of M/s PSMG & Associates Chartered Accountants Ghaziabad for re-appointment as Central Statutory Auditors of the Bank for the period upto the conclusion of the next Annual General Meeting.

### Item No. 5.

Mr. Dinesh Pant, 53 Years, Deputy General Manager - Bank of Baroda [on deputation from Bank of Baroda] was appointed as Chairman and Chief Executive officer of the Bank w.e.f. April 01, 2019 for a period of 3 years as approved by Reserve Bank of India. Nomination & Remuneration and Human Resource Committee and Board in meeting held on March 26, 2019 approved appointment of Mr. Dinesh Pant adhering to Reserve Bank of India permission, has approved his appointment as Chairman and Chief Executive Officer of the Bank for a period of three Years from the date of his taking charge on the terms and conditions as approved by the Board and Reserve bank of India.

Mr. Pant is having vast and varied experience of around -25- years in Banking. He possesses degrees of M SC, MBA in Banking and Finance, Diploma in Banking and Finance, CAIIB and Financial Risk Manager Certification Exam (FRM-1). He has played vital role in different capacities with all-important foreign and domestic assignments in Bahrain and Manama including Regional Head of Mumbai Metro East Region, Sambalpur Region, Dehradun Region, Deputy Regional Head - Dehradun Region and various important branches of Bank of Baroda. He has acquired proficiency in Risk Management, Forex and Treasury Operations, Credit and Operations and have both operational and administrative capabilities. His stint as Regional Head of various regions and other foreign assignments has earned him deep knowledge of Banking and helped him in enhancing his administrative skills. Bank of Baroda also identified Mr. Pant for a special programme 'We Lead' where he visited Frankfurt, Germany and Switzerland to study their SME structure.

The details of directorship held by Mr. Dinesh Pant in other companies as on date of Board Meeting held on August 19, 2019 is/are as under -

S.N.	Name of Company	Nature of Concern
-	-	-

### Item No. 6.

Mr. Rakesh Kumar Miglani, 59, General Manager - Bank of Baroda has vast Banking experience of 38 years and has played vital role in different capacities such as Branch Head, Regional Head of Pune and Mumbai and E-Vijaya Bank in Vijaya Bank now Bank of Baroda. He possesses degrees of M.Com and CAIIB. He was also nominated for various foreign Trainings in Europe, USA and Sweden.

Nomination & Remuneration and Human Resource Committee and Board in meeting held on August 19, 2019 has appointed Mr. Rakesh Kumar Miglani as Additional Director on the Board and the matter is being placed before the members for appointment of Mr. Rakesh Kumar Miglani as Director.

The details of directorship held by Mr. Rakesh Kumar Miglani in other companies as on date of Board Meeting held on August 19, 2019 is/are as under -

S.N.	Name of Company	Nature of Concern
-	-	-

### Item No. 7.

It is not practicable to have all the branch offices audited by the Central Statutory Auditors. It is, therefore, proposed that Board of Directors be authorised to appoint persons qualified for appointment as Branch Auditors of the bank, which are not audited by the Central Statutory Auditors, as the Board may deem fit, in consultation with the Central Statutory Auditors.

**None of the Directors or Key Managerial Personnels (KMP) or relative/s of Director/s and KMP is/are concerned or interested in the Resolutions of the accompanying Notice.**

### NOTES

- A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting ("Meeting/AGM") is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the bank. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the bank. Further, a member holding more than 10% of the total share capital of the bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. The instrument appointing proxy in order to be valid and effective should be lodged/deposited with the bank at its registered office not later than forty eight (48) hours before the commencement of the meeting.
- Proxy shall not have a right to speak at the Meeting and shall not be entitled to vote except on a poll.
- The Register of Members and Share Transfer Book of the bank will remain closed from September 14, 2019 to September 20, 2019 (both days inclusive).
- Dividend for the year ended March 31, 2019, if approved, will be payable to those members whose names are on the Register of Members of the bank on September 20, 2019.
- Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the Financial Years 2011-2012 to 2018-2019 are requested to immediately forward the same to the bank for revalidation. **Further, as per section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016, the equity shares in respect of which the Dividend has not been claimed for seven consecutive years shall be transferred by the Bank to the designated demat account of the IEPF Authority.**

## नोटिस का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

### मद संख्या 4

मैसर्स पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकारों का बैंक के केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में अगली वार्षिक साधारण सभा के समापन तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुभाग 30(1अ) के अनुसार नियुक्ति के लिए वांछित भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त की जा रही है। निदेशक मंडल इस प्रस्ताव की स्वीकृति की सिफारिश करता है।

### मद संख्या 5

श्री. दिनेश पंत, 53 वर्ष, उप महाप्रबंधक — बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रतिनियुक्ति पर, 1 अप्रैल 2019 से 3 साल के कालावधि के लिए, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया, बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। 26 मार्च, 2019 को हुई बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति और बोर्ड ने, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति का पालन करते हुए श्री दिनेश पंत की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

श्री. पंत को बैंकिंग में लगभग —25— वर्षों का विशाल और विविध अनुभव है। उनके पास एम.एससी., एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीएआईआईबी एंड वित्तीय जोखिम प्रबंधन प्रमाणन परीक्षा (एफआरएम—1) की डिग्री है। उन्होंने मुंबई मेट्रो पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, संबलपुर क्षेत्र, देहरादून क्षेत्र, उप क्षेत्रीय प्रमुख — देहरादून क्षेत्र और बैंक ऑफ बड़ौदा की विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं के साथ बहरीन और मनाना में सभी महत्वपूर्ण विदेशी और घरेलू कार्यभार सहित विभिन्न क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और कोषागार संचालन, क्रेडिट और ऑपरेशंस में दक्षता हासिल की है और उनमें परिचालन और प्रशासनिक दोनों तरह की क्षमताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख और अन्य विदेशी कार्यभार के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने बैंकिंग के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया और उनके प्रशासनिक कौशल को बढ़ाने में मदद की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक विशेष कार्यक्रम 'वी लीड' के लिए श्री. पंत का चयन किया, जहां उन्होंने उनके एसएमई ढांचे का अध्ययन करने के लिए फ्रैंकफर्ट, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा किया।

19 अगस्त, 2019 को आयोजित बोर्ड मीटिंग की तारीख तक, श्री. दिनेश पंत द्वारा अन्य कंपनियों में धारण किये हुए निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार है —

क्र. संख्या	कम्पनी का नाम	सम्बन्ध का स्वरूप
-------------	---------------	-------------------

—

—

—

### मद संख्या 6

श्री. राकेश कुमार मिगलानी, 59, महाप्रबंधक — बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 38 वर्षों का विशाल बैंकिंग अनुभव है तथा उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसे कि शाखा प्रमुख, पुणे और मुंबई के क्षेत्रीय प्रमुख तथा विजया बैंक में ई—विजया बैंक तथा अब बैंक बड़ौदा। उनके पास एम.कॉम. तथा सीएआईआईबी की डिग्री है। उन्हें यूरोप, अमेरिका और स्वीडन में विभिन्न विदेशी प्रशिक्षणों के लिए भी नामित किया गया था।

19 अगस्त 2019 को हुई बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति और बोर्ड ने श्री राकेश कुमार मिगलानी को बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और यह मामला श्री. राकेश कुमार मिगलानी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों के समक्ष रखा जा रहा है।

19 अगस्त, 2019 को आयोजित बोर्ड मीटिंग की तारीख तक, श्री. राकेश कुमार मिगलानी द्वारा अन्य कंपनियों में धारण किये हुए निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार है —

क्र. संख्या	कम्पनी का नाम	सम्बन्ध का स्वरूप
-------------	---------------	-------------------

—

—

—

### मद संख्या 7

यह व्यवहारिक नहीं है की केन्द्रीय सांविधिक लेखा परिक्षक सभी शाखा कार्यालयों की लेखा परीक्षा करे। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को उन शाखा कार्यालय के खातों की लेखा परीक्षा हेतु जिनकी केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा नहीं की है, शाखा लेखा परीक्षा के लिए पात्र व्यक्तियों की केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों की आवश्यक नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जायें।

कोई भी निदेशक या मूल प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) या निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय व्यक्तियों के रिश्तेदार संलग्नक नोटिस से संबंधित या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

### टिप्पणियाँ

(क) बैठक में उपस्थित होने और वोट डालने के लिए पात्र सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और वोट डालने के लिए किसी अन्य को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रॉक्सी बैंक का सदस्य हो। एक व्यक्ति 50 से अधिक सदस्यों एवं कम्पनी की कुल अंश पूंजी के समग्र रूप में 10 प्रतिशत से अधिक धारिता वाले सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकता है। इसके अलावा बैंक की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक का अंशधारक और जिसके पास मतदान का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। वह प्रपत्र, जिसके द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त किया गया हो, को वैध और प्रभावी बनाये रखने के लिए बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पहले बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

(ख) प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा और वह मतदान के अलावा वोट देने का हकदार नहीं होगा।

(ग) सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण पंजिका 14 सितम्बर, 2019 से 20 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

(घ) 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष लाभांश यदि स्वीकृत किया जाता है तो वह उन सदस्यों को दिया जाएगा जिनका नाम 20 सितम्बर, 2019 को बैंक के सदस्यों संबंधी रजिस्टर में अंकित होगा।

(ङ) उन अंशधारकों, जिन्होंने वर्ष 2011—2012 से 2018—2019 तक के अपने लाभांश अधिपत्रों को नहीं भुनाया है, से अनुरोध है कि वे इन्हें तुरंत पुनः वैधीकरण हेतु बैंक को भेज दें। आगे, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अनुसार, इक्विटी शेयर्स जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें बैंक द्वारा (आई.ई.पी.एफ) प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

- f) Members are requested to intimate the bank for changes, if any, in their registered address, at an early date quoting their folio number.
- g) Members/proxies should bring the attendance slip duly filled in for attending the meeting. Members are requested to note that time of registration of names for attending the Annual General Meeting shall be at the State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) at 09.30 A.M. onwards on Friday, the 20th day of September 2019. Member/s, who appoint/s Proxy/ies, are requested to ask your appointed Proxy/ies to bring his original ID proof, together with a legible photocopy thereof, at the time of attending the meeting, in absence whereof, it shall not be possible to allow your Proxy to attend the **meeting**.
- h) Members/proxies are requested to bring copies of their Annual Report 2018-2019 to the meeting.
- i) Questions/queries relating the bank's Annual Accounts and other public disclosures, be intimated to the undersigned at least 3 days in advance excluding the day of the meeting so as to enable the bank to keep the information ready.
- j) All documents referred to in the accompanying Notice and the explanatory Statement shall be open for inspection at the Registered Office the bank during the business hours on all working days upto the date of Annual General Meeting.
- k) In compliance with the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, this Notice and the Annual Report of the Bank will be sent by e-mail to those Members who have registered their email address with their DP (in case of electronic shareholding) or with Karvy (in case of physical shareholding) or with Bank. We, therefore request the Members to register their email ID with their DP (in case of electronic shareholding) or with Karvy (in case of physical shareholding) or bank mentioning your demat account/Folio no(s). However, in case you wish to receive the above documents in physical form, you may write to Bank at the address mentioned below or send an email to [cs@nainitalbank.co.in](mailto:cs@nainitalbank.co.in), mentioning your demat account details/ Folio no(s) to enable Bank to record your decision and arrange to send the said documents to your registered address, free of cost.
- l) The shareholders may write to the following address regarding transfer of shares held in physical form or for conveying their grievances, if any, at below mentioned addresses:

**CIN: U65923UR1922PLC000234**

**Corporate Office**

Company Secretary

The Nainital Bank Limited

Seven Oaks Building, Mallital, Nainital-263001

Website: [www.nainitalbank.co.in](http://www.nainitalbank.co.in)

Phone No. : 05942-233739

Email: [cs@nainitalbank.co.in](mailto:cs@nainitalbank.co.in)

M/s Karvy Fintech (P) Limited

Karvy Selenium Tower B,

Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad – 500 032.

Phone No. : 1800-345-4001 /+91-40-6716 2222

Fax No. : +91-40 – 2300 1153

Email: [hanumantha.patri@karvy.com](mailto:hanumantha.patri@karvy.com)

Contact Persons:

Shri Hanumantha

Shri Vinod Singh Negi

- m) Route Map for the venue of the Meeting is attached herewith, for your ready reference.
- n) Remote E-Voting:
- (i) In compliance Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility through M/s Karvy Fintech (P) Limited, to enable its Members to cast their votes electronically on all the items as set out in this Notice. Remote e-voting is optional.
- (ii) The Bank has appointed Ms. Geetika Keswani (Membership No. 9744-ICSI), or failing her Mr. Anuj Kumar Tiwari (Membership No. 7585-ICSI) as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- (iii) The voting rights of the shareholders shall be in proportion of their shareholding to the total issued and paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date viz. **September 14, 2019** subject to the provisions of Section of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI Circular No. 97/16.13.100/2015-16 dated 12th May 2016.
- (iv) A person who is not a Member as on the said cut-off date, will not be entitled to vote and should treat this Notice, for information purpose only.
- (v) The instructions for remote e-voting, are as under:
- In case of Members receiving Notice by e-mail:
    - ☐ Enter the login credentials (i.e., User ID & Password) mentioned in the e-mail, your Folio No. / DP ID & Client ID will be your USER ID. Please note that the password is an initial password.
    - ☐ Use the following URL for remote e-voting: From Karvy website: <http://evoting.karvy.com>
    - ☐ Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically.
    - ☐ Enter the login credentials. Your Folio No/DP ID & Client ID will be your user ID.
    - ☐ After entering the details appropriately, click on LOGIN.
    - ☐ On the voting page, enter the number of shares as on the said cut-off date under FOR/AGAINST or alternately you may enter partially any number in FOR and partially any number in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed your total shareholding, as on the said cut-off date. You may also choose the option ABSTAIN.

- (च) सदस्यों से यह अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो वे उसकी सूचना अपनी शेयरधारक खाता पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए बैंक को शीघ्र दें।
- (छ) सदस्यों व प्रॉक्सियों से यह अनुरोध है कि वे बैठक में शामिल होने के लिए अपना उपस्थिति पत्र पूरा भर कर लायें। सदस्य कृपया यह नोट करें कि वार्षिक साधारण सभा में सम्मिलित होने के लिए नाम का पंजीयन शुक्रवार दिनांक 20 सितम्बर को प्रातः 9:30 बजे से स्टेट गैस्ट हाउस (नैनीताल क्लब), मल्लीताल, नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड) में होगा। उन सदस्यों से जो प्रॉक्सी / प्रॉक्सियों को नियुक्त करेंगे से अनुरोध है कि वे अपने द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी / प्रॉक्सियों को सूचित करें कि वे बैठक में उपस्थित होते समय अपना मूल पहचान प्रमाण पत्र उसकी एक स्पष्ट फोटो प्रति के साथ लायें। इसके अभाव में आपके प्रॉक्सी / प्रॉक्सियों को सभा में उपस्थित होने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा।
- (ज) सदस्यों / प्रॉक्सियों से यह अनुरोध है कि वे बैठक में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 की अपनी प्रति साथ लायें।
- (झ) बैंक के वार्षिक खातों से सम्बन्धित प्रश्न / जानकारीयाँ आदि सार्वजनिक विवरण जिसकी, सदस्यगण में जानकारी चाहते हों अधोहस्ताक्षरी को कम से कम 3 दिन पूर्व (सभा के छोड़कर को दिन) सूचित करें ताकि बैंक द्वारा जानकारी तैयार रखी जा सके।
- (ञ) संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण बैंक के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के दिनांक तक सभी कार्यदिवसों पर कामकाज के समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- इ) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 की नियम 18 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 101 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह नोटिस और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट उन लोगों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता डीपी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) या कार्वी (भौतिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) के साथ या बैंक के साथ दर्ज किया है। इसलिए, हम सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अपना ईमेल पता डीपी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) या कार्वी (भौतिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) या बैंक के साथ आपके डीमैट खाते एक फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए पंजीकृत करें। हालाँकि, यदि आप उपरोक्त दस्तावेजों को भौतिक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे उल्लिखित पते पर बैंक को लिख सकते हैं या [cs@nainitalbank.co.in](mailto:cs@nainitalbank.co.in) पर एक ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें आपके निर्णय को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक को सक्षम करने, और उक्त दस्तावेजों को आपके पंजीकृत पते पर, मुफ्त में भेजने की व्यवस्था करने के लिए आपके डीमैट खाते का विवरण / फोलियो संख्या लिखी हो।
- ब) शेयर धारक कार्वी को भौतिक रूप में धारण किये गए शेयरों के हस्तांतरण के बारे में या उनकी शिकायतों को, यदि कोई हो, अवगत कराने के लिए निम्न लिखित पते पर लिख सकते हैं :

सीआईएन:U65923UR1922PLC000234 मुख्य व्यवसायिक कार्यालय कंपनी सचिव नैनीताल बैंक लिमिटेड, सेवन ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल -263001 वेबसाइट: <a href="http://www.nainitalbank.co.in">www.nainitalbank.co.in</a> फोन नंबर:05942-233739 ईमेल:बे / <a href="mailto:nainitalbank.co.in">nainitalbank.co.in</a>	मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032. फोन नंबर:1800.345.4001 & 91.40.6716 2222 फेक्स नंबर: +91-40 - 2300 1153 ईमेल:hanumantha.patri@karvy.com संपर्क करें: श्री. हनुमंथा श्री. विनोद सिंह नेगी
--	--

- क) बैठक के स्थल के लिए मार्ग मानचित्र आपके संदर्भ के लिए, इसके साथ संलग्न है।
- म) दूरस्थ ई-वोटिंग:
- (i) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अनुपालन में, संशोधन के अनुसार, बैंक को कार्वी के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है, ताकि उसके सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके वोट डालने की सुविधा मिल सके। दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है।
- (ii) बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए मिस गीता केसवानी (सदस्यता संख्या 9744-आई.सी.एस.आई), या उसके अनुपलब्ध होने की सूरत में, श्री अनुज तिवारी (सदस्यता संख्या 7585-आई.सी.एस.आई) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- (iii) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार उनके द्वारा धारण किये गए शेयरों से, बैंक द्वारा अंतिम तारीख अर्थात् सितंबर 14, 2019 जारी किए गए और भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में, तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या 97 / 16.13.100 / 2015-16 दिनांक 12 मई 2016 के अधीन होंगे।
- (iv) वह व्यक्ति जो उक्त अंतिम तारीख को सदस्य नहीं है, वह मतदान का हकदार नहीं होगा और उसे इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्य के लिए समझना चाहिए।
- (अ) दूरस्थ ई-मतदान के निर्देश निम्नानुसार हैं:
- ई-मेल द्वारा नोटिस प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:
  - ☐ ई-मेल में बताए गए लॉग इन क्रेडेंशियल (यानी, यूजर आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें, आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है।
  - ☐ दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निम्न URL (यूआरएल) का उपयोग करें: कार्वी वेबसाइट से: <http://evoting.karvy.com>
  - ☐ बैंक के शेयरधारक जो या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, कट-ऑफ तिथि पर शेयरों को धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
  - ☐ लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी।
  - ☐ विवरण उचित रूप से दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
  - ☐ मतदान पृष्ठ पर, फॉर / अगेंस्ट के तहत उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या दर्ज करें या वैकल्पिक रूप से आप आंशिक रूप से कोई भी संख्या फॉर के लिए और आंशिक रूप से अगेंस्ट में कोई भी संख्या प्रवेश कर सकते हैं लेकिन फॉर / अगेंस्ट में कुल संख्या उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार, आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप **ABSTAIN** (आबस्टेन) विकल्प भी चुन सकते हैं।

- ☐ Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- ☐ Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed.
- ☐ Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Resolution.
- ☐ Once the vote on the Resolution is cast by the Shareholder, he shall not be allowed to change it subsequently.
- ☐ The remote e-voting period shall commence on **September 17, 2019** (10:00 A.M.) and will end on **September 19, 2019** (5:00 P.M.). During this period Shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **September 14, 2019**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Further, the Shareholders who have cast their vote electronically may also attend the Meeting, however they shall not be able to vote again at the Meeting.
- ☐ **Please contact Karvy Computer share Private Limited or Mr. Hanumantha or Mr. Vinod Singh Negi for any clarification regarding e-voting.**
- **In case of Members receiving Notice by Post/Courier:**
- ☐ Initial password is provided, as below, in the attendance slip of the Meeting.

EVENT (E-Voting Event Number)	USER ID	PASSWORD/PIN
----------------------------------	---------	--------------

- ☐ Please follow the steps stated above, to cast your vote by electronic means.
- vi. **The Results shall be communicated to the shareholders in accordance with Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and will be uploaded on the Bank's website i.e. [www.nainitalbank.co.in](http://www.nainitalbank.co.in). The Results will also be displayed at the Registered and Corporate Offices of the Bank.**

**MEMBERS MAY PLEASE NOTE THAT NO GIFTS/COUPONS WILL BE DISTRIBUTED.**

**Place :** Noida

**Date :** August 19, 2019

**By Order of the Board of Directors**

**(Dinesh Pant)**

**Chairman & C.E.O.**

- ☐ कई फोलियो / डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- ☐ एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने वोट दीजिये और SUBMIT (सबमिट) पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। संशोधित करने के लिए CANCEL (कैंसल) और पुष्टि करने के लिए OK (ओके) क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान की अवधि के दौरान, शेयरधारक मनचाही बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मतदान नहीं किया हो।
- ☐ शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि सितंबर 17, 2019 (10:00 सुबह) पर शुरू होगी और सितंबर 19, 2019 (5:00 सायं) पर समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरहोल्डर्स, जो की कट-ऑफ तारीख सितंबर 14, 2019 पर या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, शेयर धारण करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को कार्बी द्वारा मतदान के बाद अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे बैठक में फिर से मतदान करने में सक्षम नहीं होंगे।
- ☐ ई-वोटिंग के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या श्री. हनुमंथा या श्री. विनोद सिंह नेगी से संपर्क करें।
- **डाक / कूरियर द्वारा नोटिस प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:**  
प्रारंभिक पासवर्ड, निम्नानुसार, बैठक की उपस्थिति पर्ची में प्रदान किया गया है।

?kVuk yb&okfVx boW ucj½	; t j vkbMh	ikl oM@fiu
----------------------------	-------------	------------

- ☐ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने के लिए कृपया ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें।
  - ☐ परिणाम भारत के कंपनी सचिवों की संस्था द्वारा आम सभाओं पर जारी सचिवीय मानक -2 के अनुसार शेयरधारकों को सूचित किए जाएंगे और बैंक की वेबसाइट यानी [www.nainitalbank.co.in](http://www.nainitalbank.co.in) पर अपलोड किए जाएंगे। परिणाम बैंक के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
- सदस्य कृपया यह नोट करें कि कोई भी उपहार / कूपन नहीं दिया जायेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

**स्थान:** नोएडा

**दिनांक:** 19 अगस्त, 2019

**(दिनेश पंत)**

अध्यक्ष एवं सीईओ



# नैनीताल बैंक दिन नैनीताल बैंक लि.



**NAINITAL BANK**  
**THE NAINITAL BANK LTD.**

[पंजीकृत कार्यालय: जीबी पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखण्ड - 263001]  
सीआईएन संख्या **U65923UR1922PLC000234**, वेबसाइट: **www.nainitalbank.co.in**  
ई-मेल आईडी: **cs@nainitalbank.co.in**, फोन: 05942-233739

फार्म एमजीटी-11 (प्रोक्सी फार्म)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में ।

नाम: .....  
ई-मेल आईडी: .....  
पंजीकृत पता: .....  
फोलियो संख्या/ग्राहक आईडी: .....  
डीपीआईडी: .....

मैं/हम उपर्युक्त नामित कंपनी के \_\_\_\_\_ शेयरों के धारक एतद्वारा निम्नलिखित को—

- नाम: ..... पता: .....  
ई-मेल आईडी ..... हस्ताक्षर: ..... अथवा उनके उपस्थित न हो पाने की स्थिति में
- नाम: ..... पता: .....  
ई-मेल आईडी ..... हस्ताक्षर: ..... अथवा उनके उपस्थित न हो पाने की स्थिति में
- नाम: ..... पता: .....  
ई-मेल आईडी ..... हस्ताक्षर: ..... अथवा उनके उपस्थित न हो पाने की स्थिति में

दिनांक 20 सितंबर 2019, शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे स्टेट गेस्ट हाउस (नैनीताल क्लब) मल्लीताल नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड) में होने वाली दिन नैनीताल बैंक लिमिटेड की 97वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए तथा मेरी ओर से भाग लेने और मत डालने (मतदान की स्थिति में) तथा किसी स्थगन की स्थिति में नीचे दर्शाये गए किसी संकल्प के संबंध में भाग लेने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ।

क्र. संख्या	संकल्पों का विवरण	पक्ष में	विपक्ष में
1.	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों को उसपर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अपनाना।		
2.	वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।		
3.	श्री मुकेश शर्मा के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं।		
4.	मैसर्स पीएसजीएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गाजियाबाद (एफआरएन 008567सी), को केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में, इस वार्षिक आम बैठक के समापन से, अगले वार्षिक आम बैठक के समापन तक फिर से नियुक्त करना और निदेशक मंडल को उनके पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करना।		
5.	श्री दिनेश पंत को अध्यक्ष और सी.ई.ओ. के रूप में नियुक्ति करना।		
6.	श्री राकेश कुमार मिगलानी को निदेशक नियुक्त करना।		
7.	शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बैंक को अधिकृत करना।		

2019 के _____ माह की _____ तारीख को हस्ताक्षरित	रेवेन्यू स्टाम्प लगाएं
शेयरधारक के हस्ताक्षर	
.....	
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर	

टिप्पणी: प्रॉक्सी के इस फार्म को प्रभावी बनाने के लिए विधिवत पूरा भरा होना चाहिए तथा बैठक शुरू होने के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए ।

दिन नैनीताल बैंक लिमिटेड  
(पंजीकृत कार्यालय: जी.बी.पंत रोड नैनीताल)  
उपस्थिति पर्वी

मैं दिनांक ..... 2019 को प्रातः 10:00 बजे स्टेट गेस्ट हाउस (नैनीताल क्लब) मल्लीताल नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड) में बैंक की 97वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ ।

सदस्य का पूरा नाम ..... प्रॉक्सी का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

फोलियो सं. .... सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर .....  
धारित शेयरों की सं. ....

नोट: स्वयं अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्य से उपस्थिति पर्वी पूरी तरह भरकर पंजीकरण हेतु इसे बैठक हाल के प्रवेश पर सौंपने का अनुरोध किया जाता है।



नैनीताल बैंक  
दिन नैनीताल बैंक लिमिटेड



**NAINITAL BANK**  
**THE NAINITAL BANK LTD.**

[Registered Office: G.B. Pant Road, Nainital, Uttarakhand-263001]  
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.co.in  
e-mail ID: cs@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739

**FORM MGT-11 (PROXY FORM)**

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014].

Name: .....

E-mail Id: .....

Registered address: .....

Folio No./Client Id: .....

DP ID: .....

I/ We, being the member(s) of \_\_\_\_\_, shares of the above named Company, hereby appoint

1. Name: ..... Address: .....  
E-mail Id: ..... Signature: ....., or failing him
2. Name: ..... Address: .....  
E-mail Id: ..... Signature: ....., or failing him
3. Name: ..... Address: .....  
E-mail Id: ..... Signature: ....., or failing him

As my/our proxy to attend and vote (on poll) for me/us and on my/our behalf at the 97<sup>th</sup> Annual General Meeting of The Nainital Bank Limited, to be held on Friday, the 20<sup>th</sup> day of September, 2019, at 10.00 A.M. onwards at State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) (place) and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

S.N.	Particulars of Resolution(s)	For	Against
1.	To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the Bank for the year ended 31 <sup>st</sup> March 2019, together with the report of the Directors and Auditors thereon.		
2.	To declare dividend on equity shares for the Financial Year 2018-2019.		
3.	To appoint a director in place of Mr. Mukesh Sharma who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.		
4.	To re-appoint M/s. PSMG & Associates, Chartered Accountants, Ghaziabad [FRN 008567C], as Central Statutory Auditor from the conclusion of this Annual General Meeting until conclusion of next Annual General Meeting and to authorise Board of Directors to fix their remuneration.		
5.	Appointment of Mr. Dinesh Pant as Chairman & C.E.O.		
6.	To appoint Mr. Rakesh Kumar Miglani as Director.		
7.	To authorize Bank for appointing Branch Auditors.		

Signed this .....day of 2019	Affix Revenue Stamp
Signature of Shareholder: .....	
Signature of Proxy holder(s): .....	

**Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.**

**THE NAINITAL BANK LIMITED**  
(Regd. Office: G.B. Pant Road, Nainital)

**ATTENDANCE SLIP**

I hereby record my presence at the 97<sup>th</sup> Annual General Meeting of the bank at the State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) at 10.00 A.M. (IST) onwards on ....., the ...<sup>th</sup> day of ..... 2019.

Full Name of the Member/ Folio No. ....	Proxy (in block letters)
No. of shares held .....	Signature of Member/Proxy

**Note: Member attending the meeting in person or by proxy are requested to complete the attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall for registration.**